

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: पं० 17(02)/अभियान/2028

जयपुर, दिनांक: 15 JUN 2026

स्पष्टीकरण

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक भूमि/एफ.7(ड)(श.से.शि.)/डीएलबी/2028/3851 दिनांक 10.06.2028 द्वारा राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु शहरी सेवा शिविर 2028 के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

उक्त आदेशों के क्रम में विभिन्न संस्थाओं द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। अतः उक्त आदेश की निरन्तरता में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं:-

1. परिधि नियंत्रण पट्टी में कृषि भूमि पर पूर्व में बस चुकी आवासीय योजनाओं में डीपीसीआर के अनुसार भू उपयोग अनुज्ञेय होने पर नियमन/ले-आउट के अनुमोदन की कार्यवाही विभागीय आदेश दिनांक 10.06.2028 के बिंदु संख्या 14 के अनुसार की जावें।
2. विभागीय आदेश क्रमांक भूमि/एफ.7(ड)(श.से.शि.)/डीएलबी/2028/3851 दिनांक 10.06.2028 के बिंदु संख्या 15 भवन निर्माण स्वीकृति- "शहरी सेवा शिविर 2028 में 250 वर्गमीटर तक 2500 रु. एवं 251 से 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। यदि बेटरमेंट लेवी/पार्किंग शुल्क देय है तो उसमें कोई छूट नहीं है।" के स्थान पर निम्न पढ़ा जावे:-
 - I. शहरी सेवा शिविर 2028 में 250 वर्गमीटर तक के भूखण्डों की भवन निर्माण स्वीकृति हेतु शुल्क 2500 रु. ही लिए जाने हैं।
 - II. 251 वर्गमीटर से 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों की भवन निर्माण स्वीकृति हेतु देय राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। जिसमें आवेदन शुल्क, जांच शुल्क तथा अनुमोदन शुल्क 50 प्रतिशत छूट में शामिल हैं। यदि बेटरमेंट लेवी/पार्किंग शुल्क, कृषारोपण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग देय है तो उसमें कोई छूट नहीं है।
3. दिनांक 31.12.2021 से पूर्व बसी हुई कॉलोनियों का स्वप्रेरणा से अनुमोदन किये जाने पर प्रिमियम राशि, बाह्य एवं आंतरिक विकास शुल्क में दी गई छूट की गणना टाउनशिप पॉलिसी-2024 में निर्धारित दरों के अनुसार की जानी है।
4. विभागीय आदेश दिनांक 10.06.2028 के बिंदु संख्या 22(ब) के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि नगरीय निकाय के द्वारा आवंटित या नीलामी में बेचे गये भूखण्डों/आवासों की बकाया राशि समय पर जमा नहीं कराने से आवंटन / नीलामी निरस्त मानी जाती है। जिनकी अवधि व्यतीत होने पर उनका आवंटन / नीलामी बहाल करने की अनुमति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं। ऐसे मामलों में गरीब वर्ग के व्यक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी के भूखण्डों/आवासों को बहाल करने की राज्य सरकार की शक्तियां, अभियान अवधि में निकाय स्तर पर रहेगी।
5. विभागीय आदेश क्रमांक भूमि/एफ.7(ड)(श.से.शि.)/डीएलबी/2028/3851 दिनांक 10.06.2028 के बिंदु संख्या 20 में दो स्थानों पर अंकित विभागीय आदेश "दिनांक 11.02.2022" को आदेश "दिनांक 11.02.2020" पढ़ा जावे।

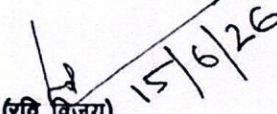
4

8. विभागीय आदेश क्रमांक भूमि/एफ.7(ड)(श.से.शि.)/डीएलबी/2026/3651 दिनांक 10.06.2026 के बिंदु संख्या 22(य) - "जिन प्रकरणों में नई टाउनशिप पॉलिसी-2024 आने से पूर्व 90-ए की कार्यवाही हो गई थी, उन समस्त प्रकरणों में अभियान अवधि के दौरान स्थानीय स्तर पर पुरानी टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जावेगा।" के स्थान पर निम्न पढ़ा जावे:-

"जिन प्रकरणों में नई टाउनशिप पॉलिसी-2024 आने से पूर्व 90-ए की कार्यवाही हो गई थी, उन समस्त प्रकरणों में अभियान अवधि के दौरान स्थानीय स्तर पर पुरानी टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जावेगा। किन्तु, शुल्क की गणना टाउनशिप पॉलिसी-2024 में निर्धारित लेय समस्त दरों के अनुसार की जानी होगी।"

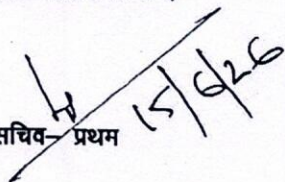
उक्त स्पष्टीकरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव


(रवि विजय)
उप शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
6. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/एन.सी.आर./स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
13. उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
15. समस्त प्रशासक, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
16. समस्त आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका,
17. समस्त जून उपायुक्त, नगर निगम, जयपुर/कोटा/जोधपुर।
18. नविवि, स्वा.शा. एवं हाउसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारीगण राजस्थान।
19. जनसम्पर्क अधिकारी, नगरीय विकास विभाग, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
20. प्रमारी अधिकारी, आई.टी.सेल, नगरीय विकास विभाग, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
21. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव-प्रथम